


05/02/25

पत्रावली पेडा इडी अपीलार्थी व
 रैस्पोंडेंट पक्ष-1, 2 अनुपस्थित। पत्रावली
 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी
 व रैस्पोंडेंट पक्ष लम्बे समय से अनुपस्थित
 दोनों पक्षों को न्यायालय समय में एक-
 एक कर बार-बार आवाजे लगाई गई
 फिर भी न्यायालय समय समाप्त होने तक
 अपीलार्थी व रैस्पोंडेंट पक्ष न्यायालय के
 समक्ष पैदा नहीं हुए। अतः पर्याप्त
 अवसर/समय दिये जाने के उपरान्त
 भी उभय/दोनों पक्ष का प्रकरण में
 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की
 अपील अफम पैरवी व अफम एजरी
 में खारिज की जाती है। पत्रावली केसल
 तुमार होकर दायिम दफ्तर हो। आदेश
 की प्रति अधीनस्थ अधिकरण को प्रेषित
 कर मूल रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश
 अनुनाया गया।


 अपील अधिकरण
 जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)